प्रेस विज्ञप्ति

7/10/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने 03.10.2025 को मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, कटनी और छतरपुर जिलों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जनपद पंचायत सिरोंज के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) शोभित त्रिपाठी और अन्य से जुड़े 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए और शोभित त्रिपाठी और अन्य के 21.7 लाख रुपये मूल्य के बैंक खाते और म्यूचुअल फंड ज़ब्त किए गए।

ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत जनपद पंचायत सिरोंज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) शोभित त्रिपाठी और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। शोभित त्रिपाठी ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके मध्य प्रदेश सरकार की विवाह सहायता योजना के तहत 2019 से नवंबर 2021 तक की अवधि में 5923 संदिग्ध विवाहों के नाम पर लगभग 30.18 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि शोभित त्रिपाठी ने डेटा एंट्री ऑपरेटरों योगेंद्र शर्मा और हेमंत साहू के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्माण श्रमिकों के परिवारों को लाभ पहुँचाने के लिए मूल रूप से आवंटित धनराशि का गबन किया था। उन्होंने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ तैयार किए और पोर्टल पर धोखाधड़ी वाली जानकारी अपलोड कर दी। इन दस्तावेज़ों का धोखाधड़ी और गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल करके उन्होंने सरकारी खजाने से अपात्र आवेदकों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित की और बाद में एटीएम के माध्यम से कई किश्तों में उसे निकाल लिया। इस प्रकार निकाली गई राशि शोभित त्रिपाठी और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के बैंक खातों में जमा कर दी गई।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि शोभित त्रिपाठी ने अपने रिश्तेदारों और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बैंक खातों का इस्तेमाल अपराध की आय को बेदाग दिखाने के लिए किया था। इस तरह जमा की गई राशि का इस्तेमाल या तो विभिन्न भुगतानों में किया गया या शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश किया गया.